न्यायालय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 203 / 2020 तारीख दायरा 21.10.2020

उनवान

श्रीमती राकेश पत्नी भरत मेघवाल निवासी कुन्दनपुर रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान । — वादीनी

बनाम

1. शान्ती पुत्री हीरालाल पत्नी रामरतन जाति मेरह निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द वार्ड नं0 10 तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी) दिनांक :— 13.01.2022

श्री धर्मराज नायक (वकील प्रतिवादी)

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी व प्रतिवादी नं0 1 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 146 कुल 3 किता की 2.42 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा विवरण आराजी निम्न है :—

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

:- विवरण आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं0नई	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	नई 146	200	1.00
		87	0.61
		91	0.81

कुल 3 किता की कुल 2.42 हैक्टर आराजी

वाद पत्र मे वर्णित आराजी वादीनी व प्रतिवादी नं0 1 के संयुक्त खाते की आराजी है, जिसमें वादीनी अपने 1/2 हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वादीनी ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी में विकास कार्य भी करवा लिया है और मौके पर वादीनी अपने 1/2 हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक निर्बाध रूप से काबिज काश्त करती चली आ रही है जो निम्न है :-

वादीनी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं0नई	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
जोगडा	नई 146	200	1.00 में से 0.50 हैक्टर उत्तारी
		87	0.61 में से 0.30 हैक्टर उत्तारी
		91	0.81 में से 0.41 हैक्टर उत्तारी

कुल 3 किता की कुल 1.21 हैक्टर आराजी

वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित अपने हिस्से कब्जे काश्त की आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वादीनी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार आराजी का विभाजन करवाने के लिए तहसील कार्यालय सांगोद में चलने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 टालमटोल कर रही है, ऐसी स्थिति में वादीनी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह मौके पर कब्जे काश्त अनुसार अपनी 1/2 हिस्से की आराजी बंटवारा करवाने अपने हक में घोषणा करवावें जिसके लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी नं0 1 ने अंतिम बार तहसील कार्यालय में चलकर आराजी का विभाजन करवाने के लिए साफ तौर पर मना कर देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें कि :-

वाद पत्र में वर्णित माल ग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 146 कुल किता की 2.42 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/2 हिस्से की आराजी को मौके पर कब्जे काश्त अनुसार माल ग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद में खात सं0 नई 146 के खसरा नं0 200 की 1.00 में से 0.50 हैक्टर उत्तरी, खसरा नं0 87 की 0.61 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर उत्तरी, व खसरा नं0 91 में से 0.41 हैक्टर उत्तरी कुल किता 3 की 1.21 हैक्टर आराजी का पृथक से खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी का विभाजन कर विभाजन अनुसार राज लगान पृथक पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें इस आशय की घोषणा व विभाजन की डिक्री वादीनी के हक में व प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध पारित फरमायी जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री धर्मराज नायक ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र अनुसार वाद स्वीकार करने पर असहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से भी जवाब सरकार अप्राप्त है। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं इकबाली जवाब के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई तथा वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर भूमि विभाजन करने हेतु प्रार्थना की।

इसके पश्चात दिनांक 27.09.2021 को दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर विभाजन रिपोर्ट रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि -

माल ग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद में स्थित खाता सं0 नई 146 कुल किता की खसरा नं0 200 की 1.00 हैक्टर, खसरा नं0 87 की 0.61 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

व. खसरा नं0 91 की 0.81 कुल किता 3 की 2.42 हैक्टर आराजी पर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

1. हिस्सा वादिनी श्रीमती राकेश –

माल ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	किस्म	लगान रूपये	हिस्सा
जोगडा	146	87	दीगर पी.	5.40	0.61 है. में से 0.30 है. उत्तरी
	146	200	चाही तृतीय	11.00	1.00 है. में से 0.50 है. उत्तरी
	146	91	दीगर पी.	7.38	0.81 है. में से 0.41 है. उत्तरी
		किता 3		23.78	कुल 1.21 है. आराजी

2. हिस्सा प्रतिवादिनी श्रीमती शांति –

माल ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	किस्म	लगान रूपये	हिस्सा
जोगडा	146	87	दीगर पी.	5.58	0.61 है. में से 0.31 है. दक्षिणी
	146	200	चाही तृतीय	11.00	1.00 है. में से 0.50 है. दक्षिणी
	146	91	दीगर पी.	7.20	0.81 है. में से 0.40 है. दक्षिणी
		किता 3		23.78	कुल 1.21 है. आराजी

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांचोर

(आओपइ सूर्यवंशी)
उपखण्ड अधिकारी, सांचोर

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 203 / 2020

तारीख दायरा 21.10.2020

उनवान

श्रीमती राकेश पत्नी भरत मेघवाल निवासी कृष्णपुर रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

– वादीनी

बनाम

1. शान्ती पुत्री हीरालाल पत्नी रामरतन जाति मेरह निवासी ग्राम पीपल्दा खुर्द वार्ड नं0 10 तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी) दिनांक :– 13.01.2022

श्री धर्मराज नायक (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री किशोरी लाल चौधरी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम जोगडा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद में स्थित खाता सं0 नई 146 कुल किता की खसरा नं0 200 की 1.00 हैक्टर, खसरा नं0 87 की 0.61 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खसरा नं0 91 की 0.81 कुल किता 3 की 2.42 हैक्टर आराजी पर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है --

1. हिस्सा वादिनी श्रीमती राकेश --

माल ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	किस्म	लगान रूपये	हिस्सा
जोगड़ा	146	87	दीगर पी.	5.40	0.61 है. में से 0.30 है. उत्तरी
	146	200	चाही तृतीय	11.00	1.00 है. में से 0.50 है. उत्तरी
	146	91	दीगर पी.	7.38	0.81 है. में से 0.41 है. उत्तरी
		किता 3		23.78	कुल 1.21 है. आराजी

2. हिस्सा प्रतिवादिनी श्रीमती शांति --

माल ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	किस्म	लगान रूपये	हिस्सा
जोगड़ा	146	87	दीगर पी.	5.58	0.61 है. में से 0.31 है. दक्षिणी
	146	200	चाही तृतीय	11.00	1.00 है. में से 0.50 है. दक्षिणी
	146	91	दीगर पी.	7.20	0.81 है. में से 0.40 है. दक्षिणी
		किता 3		23.78	कुल 1.21 है. आराजी

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक –2022/205 दिनांक– 11/2/22

वास्ते– पटवारी हलका ....ढीगी..........

विषय– मि.न.....10/22.....इजराय की पालना बाबत।

उनवान– ....राकेश / शान्ति..........

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

क्रमांक–/2021/ दिनांक–

प्रतिलिपि–सूचनार्थ/पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद/नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

10/22

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

दिनांक– 20/03/23

क्रमांक/LR/2023/855

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 203/2020 उनवान राकेश पति भरत / शान्ती पुत्री हीरालाल में जारी डिक्री दिनांक 21/10/20 की पालना में ग्राम मोगड़ा में नामान्तरकरण सं. 478 दिनांक 11/3/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-28 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जोगड़ा
पटवार हल्का :- हींगी
भू.अभि.नि. :- किशनपुरा
तहसील :- साँगोद
जिला :- कोटा

सम्वत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 146
खाता संख्या पुराना :- 49

काश्तकार का नाम:-
1. राकेश पत्नि भरतकुमार हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा.सांगोद खातेदार अ.विव.- नामा.न.325
राहिन (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा KOTA,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
662/200	0.5000	चाही तृतीय	0.5000	11.00	स्वीक्रत नामांतरकरण : 327 17/01/2019 रहननामा	
664/87	0.3000	दीगर पीवल	0.3000	5.40	स्वीक्रत नामांतरकरण : 354 29/11/2019 रहनमुक्त	
666/91	0.4100	दीगर पीवल	0.4100	7.38	स्वीक्रत नामांतरकरण : 356 09/12/2019 रहननामा	
					स्वीक्रत नामांतरकरण : 478 11/03/2022 न्याया. आदेश	
कुल खसरे - 3	1.2100		1.2100	23.7800		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC